(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– छम्माबाई पुत्री भंवरिया पत्नि गणपतराय राव निवासी जबलपुर ग्रा.पं. सेतकोलू तह. छीपाबडौद
2– भूलीबाई पुत्री भंवरिया पत्नि हरिप्रसाद राव निवासी टावर कॉलोनी छबडा जिला बारॉ
3– इमरतबाई पुत्री भंवरिया पत्नि रामकल्याण राव निवासी लापस्या तह. अकलेरा जिला झालावाड
4– भरतबाई पुत्री भंवरिया पत्नि आत्माराम राव निवासी सलावद तह. अकलेरा जिला झालावाड
5– चम्पाबाई बेवा भंवरिया जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ **(मृतक)**
6– जगन्नाथ पुत्र भवाना जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ **(मृतक)**
6/1 सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ
6/2 मनोज पुत्र जगन्नाथ जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ
6/3 छोटूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ
6/4 लड्डूबाई पत्नि जगन्नाथ जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ
7– रामनाथ पुत्र भवाना जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ
8– गुलाब पुत्र भवाना जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ
9– हरीचन्द पुत्र भवाना जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2– श्री संजय नागर अभिभाषक (अप्रार्थी)
क्रम 1, 2, 3, 4,
3– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी)
क्रम 6/1, 6/2, 6/3, 6/4,

निर्णय दिनांक 20.11.2019

राजस्थान सरकार जर्ये :– प्रार्थी तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुण्डी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 298/2 रकबा 0.02 हेक्टयर भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012–2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियो का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 19[illegible] धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त ग्राम कुण्डी की भूमि खसरा नम्बर 298/2 रकबा 0.02 हेक्टयर भूमि दिनांक 20.11.1975 को उपखण्ड अधिकारी छबडा [illegible] भवाना जाति राव निवासी कुण्डी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन की गयी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 मे हैसियत खातेदार अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 21.2.2013 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1,2,3,4 एवं 6/1 ता 6/4 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 7,8,9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर, उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अप्रार्थी भवाना को दिनांक 20.11.1975 को उक्त भूमि आवंटन की गई थी। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा काफी पैसा खर्च किया जाकर काबिल काश्त बनाया गया है ओर अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर आवंटन दिनांक से आदिनांक तक काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकीन नाला है किन्तु मौके पर कोई नाला स्थित नही है। यदि उक्त आवंटन आदेश निरस्त किया गया तो अप्रार्थीगण के परिवारो के भूखो मरने की नौबत आ जावेगी। अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तुत किया गया रेफरेंस प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिसके खसरा नम्बर 298/2 रकबा 0.02 हेक्टयर है। जो कि सम्वत् 2012 मे भी राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा [illegible] किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि [illegible] प्रारम्भतः ही शून्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय बैंच जोधपुर ने दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी तहसीलदार छबडा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम कुण्डी तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) के खसरा नम्बर 298/2 रकबा 0.02 हेक्टयर भूमि किस्म गैर–मुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रार्थना पत्र मूल बाद अनुशंषा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण मे सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:28:39 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2019.12.10 13:18:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: